Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष 0131-2436493

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

पत्रांक सं० / Ref. No. 211/NOC/Petrol Pump/MZP/2022

दिनांक / Dated 21/5/2022

सेवा मे,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)

मुजफ्फरनगर।

विषय– मै0 रिलायन्स बीपी मोबिलीटी लि0 गुरूग्राम (एल.ओ.आई. श्री श्रीमती कमलेश, श्री सुनील कुमार एवं श्री सुभाष त्यागी निवासी ग्राम बरला, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर) द्वारा खसरा संख्या 1157/2पु, ग्राम बरला, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित एमएस/एचएसडी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1102/शस्त्र सहायक–1 दिनांक 20.04.2022 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मै0 रिलायन्स बीपी मोबिलीटी लि0 गुरूग्राम (एल.ओ.आई. श्री श्रीमती कमलेश, श्री सुनील कुमार एवं श्री सुभाष त्यागी निवासी ग्राम बरला, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर) द्वारा खसरा संख्या 1157/2पु, ग्राम बरला, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर में एमएस/एचएसडी रिटेल आउटलेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत साइट मैप के अनुसार भण्डारण क्षमता MS 30 KL & HSD 24 KL (1x54 KL), HSD 54 KL (1x54 KL) (Storage Capacity of Storage Tanks) होगी। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो के अधीन संस्तुति की जाती है :–

1– इकाई द्वारा रिटेल आउटलेट (फ्यूल पम्प) स्थल के सन्निकट स्थित विद्युत लाइन से यथासम्भव दूरस्थ तथा अग्निशमन विभाग के प्राविधानों के अनुरूप किया जाये।

2– इकाई द्वारा रिटेल आउटलेट (फ्यूल पम्प) पर MS & HSD का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा अग्निशमन के समस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।

3– आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आन साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

4– स्थापना से पूर्व प्रस्तावित स्थल का भू–प्रयोग सक्षम विभाग से अकृषक में घोषित कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

5– घरलू जल मल के निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के सचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाये।

6– इकाई में यथा सम्भव खाली स्थानो पर त्वरित गति से बढ़ने वाले पौधो का रोपण कर हरित पट्टिका विकसित की जायें।

7– दुर्घटना/आकस्मिक आग से निपटने हेतु सुरक्षा के समुचित व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा उसका शत–प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8 रिटेल आउटलेट (फ्यूल पम्प) के संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से नियमानुसार जल/वायु सहमति प्राप्त की जाय।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(अंकित सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी